

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 523 / 310/30/310 / पंजीकरण 'सी' श्रेणी / 18-19

दिनांक 20/6/18

पंजीकरण सं० 02/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

मे० विनोद इन्टर प्राइजेक्ट प्रो० श्री विनोद पाण्डेय पुत्र श्री राजनाथ पाण्डेय, पता-रामपुर ता० मुंगारी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल-इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये 'सी' श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.06.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/सम्बन्धित दस्तावेज गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट- ठेकेदार को पंजीकरण/पंजीकृत करने के उपरान्त इस विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण करना एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधीशापी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधीशापी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, शाखा रामपुर, करछना, इलाहाबाद द्वारा निर्गत टी०डी०आर० सं०-370068 दिनांक 29.05.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बैंक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेक कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बैंक नुस्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. मे० विनोद इन्टर प्राइजेक्ट प्रो० श्री विनोद पाण्डेय पुत्र श्री राजनाथ पाण्डेय, पता-रामपुर ता० मुंगारी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद द्वारा अधीशापी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।